राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
62वीं बैठक दिनांक 25 अगस्त, 2017
कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 62वीं बैठक दिनांक 25 अगस्त, 2017 को श्री प्रकाश पंत, माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड सरकार की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक में श्री सुचिन्द्र मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्री अमित सिंह नेगी, सचिव (वित्त), श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव (पर्यटन), श्री श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन एवं शासकीय विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड के उच्चाधिकारियों तथा समस्त बैंक तथा अग्रणी जिला प्रबंधकों / बीमा कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गयी।

सर्वप्रथम श्री आलोक कुमार चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी, उत्तराखंड सरकार एवं राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारीगण के साथ भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनियों एवं बैंकों के उच्च अधिकारियों का राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की **62वीं बैठक** में पधारने पर स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में समस्त बैंकों द्वारा किए गए विशेष कार्यों एवं उपायों से सदन को अवगत कराया।

श्री प्रकाश पंत, माननीय वित्त मंत्री जी, उत्तराखंड

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने संबोधन में अर्थव्यवस्था के विकास तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के स्तर से लागू होने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए यह अपेक्षा की कि बैंक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने में अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन करेंगे।

किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के केंद्र सरकार के संकल्प की चर्चा करते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अन्तर्गत निम्न पाँच बिंदुओं का उल्लेख किया :

1. किसानों को समय पर खाद तथा पौध उपलब्ध कराना।
2. किसानों को समय एवं उचित दर पर कीटनाशक एवं रसायन उपलब्ध कराना।
3. सरकार के स्तर पर उपज का उचित समर्थन मूल्य घोषित करना।
4. कृषि उपज के विपणन हेतु बाजार की समुचित व्यवस्था करना।
5. किसानों को ₹ 1.00 लाख तक के कृषि ऋण 2% ब्याज दर पर उपलब्ध कराना।

इसी क्रम में उनके द्वारा बैंकों से यह भी अपेक्षा की गयी कि वे अधिकाधिक कृषकों को फसली ऋण के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र के अन्य क्रियाकलापों जैसे - मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, भेड़ पालन, मधुमक्खी पालन आदि के लिए भी ऋण प्रदान करेंगे, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि दर्ज की जा सके।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि योजनांतर्गत अधिकाधिक कृषकों को सम्मिलित करने हेतु बीमा कंपनियों, संबंधित विभागों तथा बैंकों के स्तर पर हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही बीमा कंपनियों से यह भी अपेक्षा की कि फसल क्षतिग्रस्त होने की दशा में किसानों से बीमा दावा प्राप्त होने पर उसका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्ड अप इण्डिया योजना एवं स्टार्ट अप योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने बैंकों से कहा कि वे इन योजनाओं के तहत पात्र अभ्यर्थियों को समय से उनकी पात्रता के अनुरुप ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं इनमें वांछित प्रगति दर्ज करें।

अंत में माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रदेश का ऋण-जमा अनुपात 54% होने पर संतोष प्रकट किया गया। साथ ही मैदानी तथा पहाड़ी जिलों के ऋण-जमा अनुपात में असमानता का जिक्र करते हुए बैंकों से यह अपेक्षा की कि वे मैदानी जिलों के साथ-साथ पहाड़ी जिलों में भी ऋण प्रवाह को गति प्रदान करेंगे, जिससे उनके ऋण-जमा अनुपात में वांछित वृद्धि हो सके।

1. <u>बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार अंकित करना</u> :

बैंकों द्वारा कृषि ऋणों के विरुद्ध भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार अंकित करने के संदर्भ में अपर सचिव (राजस्व), उत्तराखंड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि इस विषयक शासनादेश जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।

2. <u>वसूली प्रमाण पत्र का ऑन-लाइन फाईलिंग</u> :

तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वसूली प्रमाण पत्रों की ऑन-लाइन फाईलिंग से संबंधित वेब एपलीकेशन के सिक्योरिटी ऑडिट सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी होने में अभी कम से कम 15 दिनों का समय और लगेगा, जिसके पश्चात ही इसे बैंकों के प्रयोगार्थ जारी करने संबंधित शासनादेश की कार्यवाही संभव हो पाएगी।

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा लम्बित बैंक वसूली प्रमाण पत्रों में मात्र 3.19% वसूली पर चिंता व्यक्त की गयी, जिस पर अपर सचिव (राजस्व), उत्तराखंड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि बैंक वसूली प्रमाण पत्रों में वसूली को गति प्रदान करने हेतु शीघ्र ही जिलाधिकारियों के साथ एक वीडियो कान्फ्रेंसिंग किया जाना प्रस्तावित है। सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक जिले में 50 बड़ी बैंक वसूली प्रमाण पत्रों की निगरानी जिलाधिकारी स्तर से की जाए, जो कि वसूली प्रतिशत को बढ़ाने में सहायक होगा। साथ ही बैंकों को निर्देशित किया कि वसूली में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर वे इसके निराकरण हेतु जिला स्तर पर अपर जिलाधिकारी (राजस्व) से संपर्क करें।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं से तहसील स्तर पर वसूली प्रमाण पत्रों का अनिवार्य रुप से मिलान कराएं एवं इसकी पुष्टि राज्य

स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करें। साथ ही प्रत्येक बैंक अपने लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की सूची, जिसमें ऋणी एवं उसके पिता का नाम, ग्राम / विकास खण्ड / जिला का नाम, आर.सी. फाईल करने की तिथि, आर.सी. की राशि तथा अब तक वसूल की गयी राशि का स्पष्ट रुप से उल्लेख हो सॉफ्ट कॉपी में तैयार करें एवं दिनांक 10 सितम्बर, 2017 तक अनिवार्य रुप से इसकी एक प्रति राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें, जिसकी समीक्षा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा 11 सितम्बर, 2017 को की जाएगी।

उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून ने कहा कि एस.एल.बी.सी. पुस्तिका में वसूली प्रमाण पत्रों की जिलेवार स्थिति भी प्रदर्शित की जाएं, जिससे कि कम वसूली वाले जिलों को शासन स्तर से समुचित निर्देश जारी किया जा सकें।

3. आरसेटी :

स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी श्री एन. आर. चन्याल द्वारा ग्राम्य विकास विभाग से आग्रह किया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में आरसेटी संस्थानों द्वारा बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों पर व्यय की गयी राशि क्रमशः **₹ 3.53 लाख**, **₹ 0.62 लाख**, **₹. 1.55 लाख** तथा **₹ 11.93 लाख** की प्रतिपूर्ति शीघ्र करवाने की व्यवस्था की जाए। उक्त में से प्रथम तीन वर्षों की लम्बित राशियाँ, जो कि ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित हैं एवं काफी समय से लम्बित हैं।

उनके द्वारा सदन को आरसेटी संस्थानों के भवन निर्माण, भूमि हस्तांतरण / आबंटन की अद्यतन स्थिति से निम्नवत अवगत कराया गया :

वर्तमान स्थिति	जिला
आरसेटी संस्थान जिनके द्वारा स्वयं के निर्मित भवन में कार्य करना आरम्भ कर दिया गया है।	उधम सिंह नगर, बागेश्वर एवं अल्मोड़ा
आरसेटी संस्थान जिनके भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।	हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल
आरसेटी संस्थान जिनको भूमि हस्तांतरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।	चम्पावत, रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी एवं चमोली
आरसेटी संस्थान जिनको आबंटित / चयनित भूमि में विभिन्न तकनीकी एवं स्थानीक कारणों से परिवर्तन की आवश्यकता है।	देहरादून, नैनीताल, टिहरी एवं पिथौरागढ

स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी द्वारा सदन को यह भी अवगत कराया गया कि नये निर्देशों के अनुरुप दिनांक 01.04.2017 से भारत सरकार द्वारा आरसेटी संस्थानों को प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति

संस्थान द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का Settlement Ratio प्रतिवर्ष न्यूनतम 70% होने पर ही प्राप्त होगी। उनके द्वारा बैंकों से आग्रह किया गया कि वे आरसेटी से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के ऋण आवेदन पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, जिससे कि निर्धारित न्यूनतम Settlement Ratio को वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जा सके। संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे संस्थान द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को पात्रता के अनुरुप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना / स्टैण्ड अप इण्डिया योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करें। सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा निर्देशित किया गया कि संस्थान द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को पी.एम.ई.जी.पी. तथा अन्य सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं के तहत शामिल कर लाभान्वित किया जाए।

4. <u>वार्षिक ऋण योजना</u> :

संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम त्रैमास की समाप्ति पर वार्षिक ऋण योजना **₹ 18468.80 करोड़** के सापेक्ष **19%** की प्राप्ति पर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम त्रैमास हेतु निर्धारित मानक 15% से कम उपलब्धि दर्ज करने वाले बैंकों यथा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, यूको बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा को निर्देशित किया कि वे सितम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति तक द्वितीय त्रैमास हेतु निर्धारित मानक **40%** को प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को निर्देशित किया गया कि वे एस.एल.बी.सी. की त्रैमासिक बैठकों के अतिरिक्त भी समय-समय पर इस विषयक हुई प्रगति की समीक्षा करें।

संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को निर्देशित किया गया कि आगामी बैठकों के एजेण्डे में वार्षिक ऋण योजना के तहत प्रत्येक त्रैमास में दर्ज की गयी प्रगति को विगत वर्ष के समान त्रैमास में दर्ज की गयी प्रगति से तुलनात्मक रुप में भी दर्शित करें।

5. <u>ऋण-जमा अनुपात</u> :

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य का ऋण-जमा अनुपात 54% होने पर संतोष व्यक्त करते हुए समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे अधिकाधिक ऋण वितरण का सार्थक प्रयास करें, जिससे कि ऋण-जमा अनुपात में और वृद्धि दर्ज की जा सके। 40% से कम ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़ एवं देहरादून के अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया कि वे जिला सलाहकार समिति, जिसमें मुख्य रुप से ऋण-जमा अनुपात को बढ़ाने पर चर्चा की जाती है, की अनिवार्य रुप से बैठक कर इसके कारणों की समीक्षा करते हुए उच्च स्तर पर प्रयास कर ऋण-जमा अनुपात के न्यूनतम मानक 40% को प्राप्त करना सुनिश्चित करें। साथ ही इस बैठक से संबधित कार्यवृत्त क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय

रिजर्व बैंक, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उनके द्वारा सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों को यह भी निर्देशित किया गया कि वे भविष्य में एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड की संबंधित त्रैमास की बैठक से पूर्व बी.एल.बी.सी. / डी.सी.सी. / डी.एल.आर.सी. की त्रैमासिक बैठकों का आयोजन अनिवार्य रुप से करना सुनिश्चित करें एवं ऐसा न किए जाने को गम्भीरता से लिया जाएगा। इस अनुक्रम में सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि डी.सी.सी. / डी.एल.आर.सी. की बैठकों को समय पर आयोजित करने हेतु उनके द्वारा भी जिलाधिकारियों को उचित निर्देश जारी किए जाएंगे।

6. <u>ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी - वी.-सैट</u> :

नैनीताल बैंक के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि जिन एस.एस.ए. हेतु वी.-सैट के आर्डर प्रेषित किए जाने थे, उनमें बी.सी. की नियुक्ति न होने के कारण वांछित आर्डर प्रेषित नहीं किए जा सके। किंतु अब उन एस.एस.ए. में बी.सी. / सी.एस.पी. नियुक्त करने हेतु उनके बैंक द्वारा एक कंपनी से **MoU** कर लिया गया है तथा आगामी एक माह में बी.सी. / सी.एस.पी. की नियुक्ति करने के साथ ही वी.-सैट के आर्डर भी प्रेषित कर दिए जाएगें। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया कि इस विषयक की जा रही कार्यवाही एवं प्रगति से एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड को पत्र द्वारा अवगत कराएं एवं सदन को दिए गए समय सीमा में कार्य संपन्न करें।

7. <u>प्रधानमंत्री जन-धन योजना</u> :

संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत राज्य में खुले खातों की तुलना में उनमें जारी किए गए रु-पे डेबिट कार्ड की संख्या लगभग **3.50 लाख** से कम है। उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन बैंकों में यह अंतर है वे प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खुले सभी खातों में रु-पे डेबिट कार्ड जारी करना सुनिश्चित करें एवं अवितरित रु-पे पिन कार्ड के संदर्भ में आवश्यक कदम उठाएं।

8. <u>समस्त बैंक खातों में शत प्रतिशत आधार सीडिंग</u> :

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सभी बैंकों से आग्रह किया गया कि वे भारत सरकार द्वारा **धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 (पीएमएल नियम 2005)** में 01 जून, 2017 को किए गए संशोधन के अनुरुप **31 दिसम्बर, 2017 तक सभी बैंक खातों में आधार सत्यापन के कार्य को अनिवार्यत: पूर्ण करना सुनिश्चित करें।**

9. <u>सामाजिक बीमा योजनाएं</u> :

संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें।

10. <u>वित्तीय साक्षरता</u> :

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल-जून, 2017 के दौरान वित्तीय साक्षरता कैम्पों के माध्यम से जनसाधारण के बीच वित्तीय साक्षरता एवं नकद रहित लेन-देन को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की गयी तथा निर्देशित किया गया कि वे आगे भी अधिक से अधिक वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन करना सुनिश्चित करें, जिससे कि डिजीटल ट्रांजेक्शन को प्रोत्साहित किया जा सके।

11. <u>किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना</u> :

माननीय वित्त मंत्री जी, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने संबोधन भाषण में किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु कृषि विभाग को निर्देशित किया कि वे अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर उसे क्रियान्वित करवाने हेतु आवश्यक कदम उठाएं तथा इस दिशा में बैंकों का भी सहयोग प्राप्त करें।

12. <u>फसल बीमा योजना</u> :

क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि **रिस्ट्रक्चर्ड मौसम आधारित फसल बीमा योजना - खरीफ 2017 एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - खरीफ 2017** के अंतर्गत अभी तक प्राप्त सूचना के अनुरुप 1,15,818 कृषकों को बीमित किया जा चुका है तथा संपूर्ण आँकड़ों के संग्रहण का कार्य अभी भी प्रक्रियाधीन है। उनके द्वारा सदन को यह भी अवगत कराया गया कि संबंधित मौसम में बीमित कृषकों की संख्या लगभग 1,90,000 तक जाने की संभावना है। उनके द्वारा बैंकों से यह अनुरोध किया गया कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ - 2017 के अंतर्गत बीमित कृषकों की सूचना भारत सरकार के फार्मर पोर्टल **(www.agri-insurance.gov.in)** पर **Upload** करना सुनिश्चित करें। उनके द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वर्ष 2016-17 में फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत लगभग **₹ 17.00 करोड़** के बीमा क्लेम का भुगतान किया जा चुका है जिससे लगभग **64,000** कृषक लाभान्वित हुए हैं।

13. <u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन</u> :

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा योजनांतर्गत वार्षिक लक्ष्य 3,168 के सापेक्ष मात्र 103 आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करने पर असंतोष व्यक्त किया गया। इस पर अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू.एस.आर.एल.एम. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उनके विभाग द्वारा बैंक शाखाओं को अभी तक 609 ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किए जा चुके हैं। इस क्रम में सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया कि वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष 30 सितम्बर, 2017 तक पर्याप्त संख्या में पात्र समूहों के ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं प्रेषित करना सुनिश्चित करें। राज्य मिशन प्रबंधक, यू.एस.आर.एल.एम. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत बैंकों को प्रेषित समूहों के ऋण आवेदन पत्रों में **बैंकों द्वारा समूह की ऋण पात्रता की गणना उनके बचत खाता खोलने की तिथि से की जा रही है, जब कि योजनांतर्गत समूह की ऋण पात्रता उनके गठन की तिथि से निर्धारित किए जाने का प्रावधान है। सभी बैंक नियमों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।**

इसी क्रम में महाप्रबंधक, नाबार्ड, देहरादून द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि नाबार्ड के द्वारा एन.जी.ओ. के माध्यम से लगभग 5000 समूहों का गठन करवाया गया है, जिनके बचत खाते भी बैंक शाखाओं में खुले हुए हैं। उनके द्वारा बैंकों से अनुरोध किया गया कि ऐसे समूह जो ऋण की पात्रता को पूरा करते हैं, उन्हें समय से सी.सी.एल. प्रदान किया जाए।

14. <u>डेयरी उद्यमिता विकास योजना</u> :

नाबार्ड द्वारा बैंकों से आग्रह किया गया कि डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों को ऋण प्रदान किया जाए। साथ ही वितरित ऋण खातों में देय अनुदान राशि का दावा भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप ऋण वितरण के दो माह के अंदर अनिवार्यत: नाबार्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि अनुदान राशि बैंकों को समय पर उपलब्ध कराया जा सके।

15. <u>वित्तीय वर्ष 2017-18 - अल्पावधि फसली ऋण हेतु ब्याज उपादान योजना</u> :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सभी बैंकों से अनुरोध किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या FIDD.CO.FSD.BC.No.14/05.02.001/2017-18 दिनांकित 16 अगस्त, 2017 के अनुरुप वित्तीय वर्ष 2017-18 में फसली ऋण हेतु **Interest Subvention Scheme** के संदर्भ में अधिक से अधिक किसानों को जानकारी प्रदान की जाए, जिससे कि योजनांतर्गत अधिकाधिक कृषक लाभान्वित हो सकें।

16. <u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</u> :

परियोजना अधिकारी, शहरी विकास विभाग, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत बैंकों को लगभग 800 ऋण आवेदन पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं। उनके द्वारा बैंक नियंत्रकों से आग्रह किया गया कि वे योजनांतर्गत अपनी शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

17. <u>प्रधानमंत्री आवास योजना - (Credit Link Subsidy Scheme)</u> :

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा योजनांतर्गत धीमी प्रगति पर कहा गया कि बैंकों को अभी भी इस योजना के विषय में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं हैं, अत: परियोजना अधिकारी (सूडा) पुन: बैंकों की कार्यशाला आयोजित कर विस्तृत जानकारी प्रदान करें एवं योजना से संबंधित परिपत्र राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराएं, जिसे आगे सभी बैंकों को अग्रसारित किया जाए। साथ ही उन्हें यह भी निर्देशित किया कि वे योजनांतर्गत बैंकवार लक्ष्य निर्धारित कर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को अग्रिम कार्यवाही हेतु यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं। साथ ही सभी बैंक अपने द्वारा प्रदान किए जा रहे गृह ऋण, जो योजना की पात्रता पूरी करते हों, को स्वत: इस योजना में कवर करें।

18. <u>स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान</u> :सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा योजनांतर्गत बैंक शाखाओं को प्रेषित कम आवेदन पत्रों की संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन को निर्देशित किया कि वे संबंधित विभाग के साथ इस संदर्भ में चर्चा करें।

19. <u>एम.एस.एम.ई. ऋण</u> :

अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन उत्तराखंड द्वारा राज्य में एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत रुग्ण इकाइयों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए उनके पुनर्वास एवं पुनरुत्थान हेतु शासन से सहायता की अपेक्षा की गयी। मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने इस संबंध में कहा कि सभी बैंकों द्वारा समय-समय पर एक मुश्त ऋण निपटान योजना (OTS) घोषित की जाती है, जिसके तहत रुग्ण एम.एस.एम.ई. इकाइयाँ, जो कि एन.पी.ए. हो चुकी हैं, की समस्या का निराकरण कर बैंक एवं उद्यमी दोनों लाभान्वित हो सकते हैं।

20. <u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना</u> :

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन ने योजनांतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्य **₹ 1896.22 करोड़** के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम त्रैमास की समाप्ति तक मात्र **₹ 265.99 करोड़** की प्राप्ति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने बैंकों को निर्देशित किया कि वे योजनांतर्गत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को ऋण प्रदान करें, जिससे कि वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

21. <u>हथकरघा बुनकरों हेतु मुद्रा योजना</u> :

सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा योजनांतर्गत वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों की संख्या पर असंतोष व्यक्त किया गया। जिस पर संबंधित विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि यह एक नयी योजना है तथा अभी विभाग से स्तर से इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

22. <u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)</u> :

संयुक्त निदेशक, एम.एस.एम.ई., उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं तथा बैंक भी ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण में भरपूर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उनके द्वारा बैंकों से अनुरोध किया गया कि लम्बित आवेदन पत्रों का माह सितम्बर, 2017 तक अनिवार्य रुप से निस्तारित करना सुनिश्चित करें।

23. <u>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</u> :

योजना के अंतर्गत बैंक शाखाओं को कम ऋण आवेदन पत्रों के प्रेषण पर सचिव (पर्यटन), उत्तराखंड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि यह योजना राज्य में विगत 15 वर्षों से लागू है। योजना के आरम्भ से कुछ विशेष क्रियाकलापों यथा वाहन, होटल तथा सोविनियर शॉप को ही योजना में सम्मिलित किया गया है तथा अभी तक इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ है, जिसके कारण अब पर्याप्त संख्या में नए ऋण आवेदक मिल नहीं पा रहे हैं। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इस स्थिति को देखते हुए विभाग के स्तर पर कुछ नये क्रियाकलापों / गतिविधियों को योजनांतर्गत शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। उनके द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे योजनांतर्गत प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण विवेकपूर्ण तरीके से करना सुनिश्चित करें।

24. <u>स्टैण्ड अप इण्डिया</u> :

उपरोक्त योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा वांछित प्रगति दर्ज न किए जाने पर उन्हें निर्देशित किया गया कि वे योजनांतर्गत अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करें।

25. <u>ऋण आवेदन पत्रों का प्रेषण एवं निस्तारण</u> :

सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं से संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि वे सितम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति तक वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें, जिससे कि समय रहते सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं के वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

सभा के अंत में महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने अध्यक्ष महोदय के साथ उपस्थित उत्तराखंड शासन के अन्य शीर्ष अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सहयोगी बैंकों, बीमा कंपनियों से आये अधिकारियों का सहयोग एवं सहभागिता के लिये तथा मीडिया बंधुओं को बैठक की कार्यवाही की कवरेज करने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने सभी बैंकों की ओर से वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकार प्रायोजित समस्त ऋण योजनाओं के अंतर्गत निर्धारत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कटिबद्धता प्रकट की। साथ ही आशा व्यक्त की कि सभी बैंक एवं रेखीय विभाग आपस में सामन्जस्य स्थापित कर राज्य के ऋण-जमा अनुपात में और अधिक वृद्धि हेतु समुचित प्रयास करेंगे जिससे राज्य की आर्थिकी में गुणात्मक वृद्धि दर्ज की जा सके।

****